[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF JUSTICE)

ORDER

7th February, 2019.

S.O. (E).—Whereas the High Court at Fort William was established by the Letters Patent of 1862 issued under the India High Courts Act, 1861 and was renewed under the Letters Patent of 1865 issued under the Indian High Courts Act, 1865;

And Whereas under clause 31 of the said Letters Patent, the Governor General in Council was empowered to authorize the High Court at Fort William to exercise jurisdiction elsewhere than at the place of usual sitting of High court or at several such places by way of circuit;

And Whereas sub-section (5) of section 101 of the Government of India Act, 1915-1919 renamed the High Court at Fort William as the High Court at Calcutta;

And Whereas section 30 of the Government of India Act, 1915-1919, repealed the Indian High Courts Act 1861 and the Indian High Courts Act 1865 and the jurisdiction and the authority of the High Court at Calcutta was continued under the provisions of Government of India Act, 1915-1919;

And Whereas the Government of India Act, 1935 repealed the Government of India Act, 1915-1919 and section 219 of the 1935 Act provided that the High Court in Calcutta, Madras and Bombay would be High Courts for the purposes of the said Act;

And Whereas by virtue of section 292 of the Government of India Act, 1935 existing laws in force in British India immediately before the commencement of the Government of India Act, 1935 were continued in force in British India until altered, repealed or amended by the competent Legislature;

And Whereas by virtue of sections 219 and 292 of the Government of India Act, 1935, the High Court at Calcutta continued to exercise its jurisdiction under the authority of the Letters Patent of 1865 which was the law in force immediately before the commencement of the Government of India Act, 1935;

And Whereas article 395 of the Constitution repealed the Government of India Act, 1935 an article 225 of the Constitution preserves the jurisdiction of the existing High Courts;

And Whereas by virtue of clause (1) of article 372 of the Constitution, the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution continue to be in force until repealed or amended by the competent Legislature or competent authority;

And Whereas the Letters Patent establishing the High Court at Calcutta continued to be the law in force till it is amended or modified by the competent Legislature or competent authority under clause (2) of article 372 of the Constitution;

And Whereas clause (2) of article 372 of the Constitution empowers the President to make such alterations and modifications in the laws in force in the territory of India to bring such law in accordance with the provisions of the Constitution:

And Whereas the President has issued the Adaptation of Laws Order, 1950 making amendments to the Central Laws and Provincial laws mentioned in the Schedule to that Order;

And Whereas section 3 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the definitions given in the said Act apply to all Central Acts and Regulations made after the commencement of the said Act unless there is anything repugnant in the subject or context;

And Whereas clause (8) of section 3 of the said General Clauses Act,1897 defines the Central Government, in relation to anything done before the commencement of the Constitution, to mean the Governor General or the Governor General in Council and in relation to anything done or to be done after the commencement of the Constitution, to mean the President of India.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under the law in force and also under all other powers enabling the President in this behalf under the Constitution, I, Ram Nath Kovind, President of India after consultation with the Governor of West Bengal and the Chief Justice of the High Court of Calcutta make the following Order, namely:

1. Short title and commencement -

- (1) This Order shall be called the Calcutta High Court (Establishment of Circuit Bench at Jalpaiguri) Order, 2019.
- (2) It shall come into force on 07.02.2019.

2. Establishment of Circuit Bench of the Calcutta High Court at Jalpaiguri -

- (1) There shall be established a Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri, and such Judges of the High Court at Calcutta, as the Chief Justice of that High Court may decide from time to time shall sit as single Judges and as Division Courts at Jalpaiguri.
- (2) The Judges nominated under paragraph (1) shall sit at the Circuit Bench at Jalpaiguri and exercise the jurisdiction and powers for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the Districts of Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri and Cooch Behar in the State of West Bengal:

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Kolkata.

Sd/RAM NATH KOVIND
President of India

[F.No. K-11018/1/99-US.I-Vol-V]

(Rajinder Kashyap)

Joint Secretary to Govt. of India

(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड-ii में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ****

> नई दिल्ली-110011 दिनांक 07 फरवरी, 2019

आदेश

भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अधीन जारी 1862 के लैटर पेटेंट द्वारा फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1865 के अधीन जारी लैटर पेटेंट के अधीन उसका नवीकरण किया गया था;

और उक्त लैटर पेटेंट के खंड 31 के अधीन परिषद के गर्वनर जनरल को फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय को प्रायिक उच्च न्यायालय के आसीन स्थान से अन्यत्र या सर्किट के माध्यम से ऐसे अनेक स्थानों पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1915-1919 की धारा 101 की उपधारा (5) द्वारा फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय का कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के रूप में पुर्ननामांकन किया गया ;

और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1915-1919 की धारा 30 ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1865 को निरसित किया और कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय की अधिकारिता तथा प्राधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1915-1919 के उपबंधों के अधीन जारी रहा;

और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1915-1919 को निरिसत किया और 1935 के अधिनियम की धारा 219 में यह उपबंध किया गया कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थित उच्च न्यायालय उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय होंगे:

और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 की धारा 292 के कारण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के प्रारंभ के ठीक पूर्व ब्रिटिश भारत में प्रवृत्त विद्यमान विधियां तब तक जारी रहीं जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा उन्हें परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया;

और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 की धारा 219 और धारा 292 के कारण कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय 1865 को लैटर पेटेंट के प्राधिकार के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता रहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि थी;

क्रमशः2/-

और संविधान के अनुच्छेद 395 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 को निरसित किया संविधान का अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को संरक्षित करता है ;

और संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (1) के कारण संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियां तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि उन्हें सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता ;

और कलकत्ता स्थित उच्च न्यालय को स्थापित करने वाला लैटर पेटेंट विधि के रूप में तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (2) के अधीन सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता ;

और संविधान के अनुच्छेद 372 का खंड (2) राष्ट्रपित को भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों में ऐसे परिवर्तन और उपान्तरण करने के लिए सशक्त करता है जिससे ऐसी विधियों को संविधान के उपबंधों के अनुसार लाया जा सके ;

और राष्ट्रपति ने उस आदेश की अनुसूची में वर्णित केंद्रीय विधियों और प्रांतीय विधियों में संशोधन करने के लिए विधि अनुकूलन आदेश, 1950 जारी किया है ;

और साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (1897 का 10) के अधीन उक्त अधिनियम में दी गई परिभाषाएँ उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों को तब तक लागू होंगी जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो ;

और उक्त साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 का खंड (8) संविधान के प्रारंभ के पूर्व की गई किसी बात के संबंध में केंद्रीय सरकार अर्थात गवर्नर जनरल या परिषद में गवर्नर जनरल और संविधान के प्रारंभ के पश्चात की गई या किए जाने वाली किसी बात के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को परिभाषित करता है।

अतः अब, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपित प्रवृत्त विधि के अधीन और संविधान के अधीन इस निमित राष्ट्रपित को समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करता हूँ;-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय (जलपाईगुड़ी में सर्किट न्यायपीठ की स्थापना) आदेश 2019 होगा।
- (2) यह 07.02.2019 तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2. जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना –
- (1) जलपाईगुड़ी में कलकता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना की जाएगी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिसे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर एकल न्यायाधीशों के रूप में आसीन होने और जलपाईगुड़ी में खंड न्यायालय के रूप में आसीन होने का विनिश्चय करेंगे।
- (2) पैरा (1) के अधीन नामनिर्देशित न्यायाधीश, जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट न्यायपीठ में आसीन होंगे। पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग, कालिमपोंग जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय में तत्समय विहित अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेंगे:

परन्तु उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अपने विवेक से यह आदेश देते हैं कि ऐसे किसी जिले में उत्पन्न कोई मामला या मामलों के प्रवर्ग की सुनवाई कलकत्ता में होगी।

> ह/-(राम नाथ कोविन्द) भारत का राष्ट्रपति

[संख्या. के-11018/1/99-यूएस.I-वॉल्यूम-V]

र्जु के जित्रीम मृत्रि 2019 (राजिन्द्र कश्यप) संयुक्त सचिव, भारत सरकार